दैनिक जागरण

मेहनत वह तकनीक है, जिससे असंभव संभव हो जाता है

कांग्रेस का सामंतवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर चौकीदार चोर है कहने के लिए राहुल गांधी को एक और हलफनामा देकर माफी मांगनी पड़ी। इसके पहले उन्होंने करीब 20 पेज का हलफनामा देकर अपनी गलतबयानी के लिए गोल-मोल तरीके से माफी मांगी थी। इसके और पहले उन्होंने केवल खेद जताकर कर्तव्य की इतिश्री करनी चाही थी। नए हलफनामे में माफी मांगने के साथ ही राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी जाए। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लेकिन यह ठीक नहीं होगा कि कोई सरासर झूठ बोले और फिर महज माफी मांगकर बच निकले। बेहतर हो कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई नजीर पेश करने वाला फैसला दे ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर या फिर बगैर उसका हवाला दिए उस तरह झूठ की राजनीति न कर सके जैसे कांग्रेस अध्यक्ष कर रहे हैं। क्या यह अजीब नहीं कि राहुल गांधी यह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर चौकीदार चोर कहना तो उनकी भूल है, लेकिन बगैर अदालती हवाले के ऐसा कहते रहना सही है? आखिर वह अपनी रैलियों में किस आधार पर मोदी को चोर बता रहे हैं? उनके पास ऐसे कौन से तथ्य हैं जो वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ उद्योगपति अनिल अंबानी को भी चोर कह रहे हैं? ध्यान रहे कि राफेल सौदे को संदिग्ध करार देने के लिए जो भी तथ्य सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए थे उनकी पड़ताल कर उसने यही पाया था कि इस सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं।

क्या नीति, नियम और नैतिकता का तकाजा यह नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट जब तक राफेल सौदे को लेकर दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर लेता तब तक राहुल गांधी चोर-चोर का शोर मचाने से बाज आएं? वह बिना किसी प्रमाण केवल प्रधानमंत्री को चोर ही नहीं कह रहे, बल्कि यह झूठा दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने अनिल अंबानी के खाते में 30 हजार करोड़ रुपये डाले। मुश्किल यह है कि राहुल गांधी और उनके साथी यह भी साबित करना चाह रहे हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री को तो चोर कहना उनका अधिकार है, लेकिन अगर कोई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ टिप्पणी करे तो वह अपराध और अनैतिक है। अगर चौकीदार चोर कहना सही है तो फिर भ्रष्टाचारी नंबर वन से आपत्ति क्यों? कांग्रेस की ओर से यह भी तर्क दिया जा रहा है कि दिवंगत व्यक्तियों के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। एक तो कांग्रेस के नेता खुद ही इस तर्क का पालन नहीं कर रहे हैं और दूसरे इसका कोई मतलब नहीं कि दिवंगत नेताओं के आदर की सीख देते हुए मौजूदा नेताओं के अपमान में कोई कसर न छोड़ी जाए? ऐसा लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी अपने लिए अलग नियम चाहते हैं और अपने विरोधियों के लिए अलग। यह तो एक तरह का सामंतवाद ही है। कांग्रेस को यह समझ आए तो बेहतर कि लोकतंत्र में सामंती मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।

अन्नदाता की हो फिक्र

बिहार में धान खरीद की देरी से परेशान किसान गेहूं की फसल तैयार कर भी सरकारी खरीद को लेकर संशय की स्थिति में हैं। सरकार के बहुत प्रयास के बाद भी धान क्रय की गति इस साल बहुत सुस्त रही। दावा लक्ष्य की पूर्ति का जरूर किया जा रहा, लेकिन जमीन पर धान खरीद की हालत अच्छी नहीं रही थी। विभागीय स्तर पर हो रही समीक्षा में भी बार-बार इसे इंगित किया जा रहा था। इस बार गेहूं की अच्छी पैदावार हुई है और यह लिखना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार के किसानों में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर उत्साह नहीं है। कई जगह किसानों को सरकारी खरीद की विधिवत जानकारी भी नहीं है। इसका लाभ बिचौलिए उठाते हैं। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 रुपये से भी कम दर पर किसान अपना गेहूं बेच रहे हैं। फसल आधारित किसानी जीवन में इतना धैर्य नहीं होता कि किसान अच्छी कीमत के लिए इंतजार करे। अगर समय से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं होगी और समय पर भुगतान नहीं होगा तो किसान ठगा ही रह जाएगा। इस साल दो लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। यह पिछले साल की अधिप्राप्ति की तुलना में कई गुना अधिक है। बीते साल करीब साढ़े 17 हजार मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। बिहार के बारे में यह भी महत्वपूर्ण है कि 2018 से पहले पांच वर्षों तक गेहूं का सरकारी क्रय नहीं हुआ था। किसानों को इसके प्रति इस बार बहुत जागरूक करने की भी जरूरत है। सरकार ने अपने तई धान खरीद में भी पैसों का प्रबंधन कर दिया था और इस बार गेहूं की खरीद के लिए भी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक से पांच सौ करोड़ रुपये ऋण के लिए सरकार की गारंटी दे दी गई है। पूरे राज्य के लिए व्यापार मंडल और पैक्स को एजेंसी बनाया गया है, लेकिन व्यापार मंडल और पैक्सों के समक्ष गोदाम का भी संकट है। पहले से जो धान खरीदा गया है, वह गोदामों में अटा पड़ा है। 31 जुलाई तक खरीदे गए धान से चावल बनाकर राज्य खाद्य निगम को देना है। इस बीच गेहूं तैयार हो चुका है। चुनाव के कारण भी खरीद प्रक्रिया पूरी करने में देरी हो रही है। सहकारिता विभाग के पास पहले भी मानव संसाधन का अभाव रहा है। ऐसे में सचेत रहना होगा कि अनाज खरीद का कमजोर सरकारी तंत्र किसानों की आस पूरी करने में विफल न हो जाए।

आतंक के समक्ष हमारा आंतरिक सुरक्षा तंत्र

प्रकाश सिंह

सीमा के बाहर तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है और देश को उस पर गर्व है, परंतु सीमा के अंदर भी ऐसे बहुत तत्व हैं जिन पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए

जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है। जैश-ए-मुहम्मद ने भारत में कई बड़े आतंकी हमले किए हैं। 2000 में सेना के 15 कोर मुख्यालय, जो श्रीनगर में बदामी बाग में है, पर हमला किया था। इसके बाद 2001 में संसद पर धावा बोला। 2016 में पठानकोट में वायुसेना के स्टेशन पर आतंकी हमला और 2019 में पुलवामा में नरसंहार भी इसी आतंकी संगठन ने किया। मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का प्रयास 2009 से ही चल रहा था, परंतु चीन के असहयोग के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा था। अंततः अंतरराष्ट्रीय दबाव में चीन को झुकना पड़ा, परंतु यह सोचना गलत होगा कि मसूद अजहर पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी की छाप लगने के बाद पाकिस्तान सही मायने में उस पर कोई प्रभावी अंकुश लगाएगा। पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत ने स्वयं यह बयान दिया है कि इस कदम का कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ेगा। लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद पर अमेरिका ने एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है, परंतु यह आतंकी सरगना पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है और भारत के विरुद्ध भड़काऊ बयान देते रहता है। कथनी और करनी में अंतर करते हुए और झूठ बोलकर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कला में पाकिस्तान माहिर है। पड़ोसी देश श्रीलंका में 21 अप्रैल को जो भयंकर आतंकी हमला हुआ वह भी हमारे लिए खतरे की घंटी है। आठ स्थानों पर एक ही दिन में छह घंटे के अंतराल में तीन शहरों- कोलंबो, निगोंबो और बाट्टीकलोवा में विस्फोट किए गए जिनमें 250 से अधिक लोग मारे गए और 500 से ज्यादा घायल हुए।

इस्लामिक स्टेट यानी आइएस ने श्रीलंका के आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों को स्थानीय संगठनों-नेशनल तौहीद जमात और जमीयथुल मिलाथु इब्राहिम ने अंजाम दिया। इस्लामिक स्टेट हमलों का श्रेय लेकर शायद अपना कद बड़ा करना चाहता है। यह भी हो सकता है कि स्थानीय संगठनों को इस्लामिक स्टेट के राजनीतिक दर्शन से प्रेरणा मिली हो। ध्यान देने की बात है कि श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल महेश सेनानायके ने अपने हालिया बयान में कहा है कि आत्मघाती हमलावर कश्मीर, कर्नाटक और केरल में प्रशिक्षण और शायद कुछ मदद के लिए गए थे।

हमारे एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश में तो इस्लामिक स्टेट ने निश्चित रूप से पैठ बना ली है। जुलाई 2016 में आतंकवादियों ने ढाका में आर्टिजान बेकरी पर हमला कर कई लोगों को बंधक बना लिया था। इस आतंकी घटना में 29 लोग और दो पुलिसकर्मी मारे गए थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में बयान दिया कि आतंकवादियों के पुनः हमले की आशंका है और इसके लिए देश की पुलिस और खुफिया विभाग को सतर्क कर दिया गया है। मालदीव में यद्यपि सत्ता परिवर्तन हो गया है, परंतु वहां चरमपंथी अपनी जड़ें बना चुके हैं।

भारत के गृह मंत्री बराबर यह कहते हैं कि देश को इस्लामिक स्टेट से खतरा नहीं है और देश के मुसलमान इस आतंकी संगठन के राजनीतिक दर्शन से प्रभावित नहीं होंगे, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और है। यह सही है कि भारत में मुसलमानों की आबादी को देखते हुए आइएस प्रभावित मुसलमानों का प्रतिशत बहुत कम है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार अभी तक केवल 167 लोग इस्लामिक स्टेट के समर्थक होने के संदेह में गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें से 73 लोगों को चेतावनी और सलाह देने के बाद छोड़ा जा चुका है। इसके अलावा 98 इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया, इराक या अफगानिस्तान गए। इनमें से 33 मारे जा चुके हैं। कश्मीर में जब-तब इस्लामिक स्टेट के झंडे दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल मुख्य रूप से प्रभावित प्रदेश माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर इस्लामिक स्टेट के समर्थक होने का अंदेशा है। पिछले साल 4 अप्रैल को नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआइए) ने बांदा जनपद से जामिया अरबिया मदरसा के सात युवकों को गिरफ्तार किया था। दिसंबर 2018 में एनआइए ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 17 स्थानों पर इस्लामिक स्टेट समर्थक इकाइयों के सक्रिय होने की सूचना होने पर छापे मारे और दस लोगों को, जो हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम के सदस्य थे, को गिरफ्तार किया। 22 जनवरी, 2019 को महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्कवॉड ने नौ लोगों को इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के आधार पर गिरफ्तार किया। इनमें से कुछ उम्मत-ए-मोहम्मदिया के सदस्य थे। पूछताछ से पता चला कि इनका मुख्य सरगना सीरिया में इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी के संपर्क में था। 26 जनवरी, 2019 को महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे से एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी सार्वजनिक स्थल पर विष डाल कर भारी संख्या में लोगों को मारने की योजना बना रहा था। केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते गृह मंत्रालय के रडार पर है। यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों और राजनीतिक हत्याओं में संलिप्त पाया गया है। हाल में एक पोस्टर द्वारा, जिसका शीर्षक है 'कमिंग सून' (शीघ्र आ रहे हैं) इस्लामिक स्टेट ने भारत और बांग्लादेश, दोनों को ही चेतावनी दी है।

आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर पाकिस्तान की चर्चा करना शायद अनावश्यक है। दुनिया में आज आतंकवाद के दो सबसे बड़े स्रोत हैं। एक पाकिस्तान और दूसरा सऊदी अरब। आर्थिक दृष्टि से संपन्न सऊदी अरब दुनिया भर में वहाबी दर्शन के प्रचार और प्रसार में मदद दे रहा है। पाकिस्तान तो आतंकवादियों की नर्सरी ही है। अफगानिस्तान, ईरान, भारत और अन्य देश पाकिस्तान के आतंकवादियों के निर्यात से परेशान हैं। इस तरह आतंकवाद हमारी सीमाओं पर हर दिशा से दस्तक दे रहा है। पाकिस्तान से तो है ही, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश से भी खतरे की घंटी बज रही है। सवाल है कि क्या हम इन खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं? कुछ हद तक तो हैं, परंतु अगर गहराई में देखा जाए तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सीमाओं पर सैन्य बल पर्याप्त है, उन्हें किसी खतरे का जवाब देने की भी पूरी स्वतंत्रता है, परंतु तटीय सुरक्षा अभी भी जर्जर है। कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम मंथर गति से लागू हो रही है।

हमें याद रखना होगा कि मुंबई में 26/11 का हमला समुद्री रास्ते से हुआ था। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी पुलिस व्यवस्था की है, जबकि घरेलू आतंकी तत्वों और विदेशी आतंकी संगठनों के समर्थकों से इसी बल को सबसे पहले निबटना पड़ता है। पुलिस में जनशक्ति और संसाधन की भयंकर कमी है। इसे सशक्त बनाना और आवश्यक संसाधनों से लैस करना देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। आतंकवाद से निपटने की नीति को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसी तरह आतंकवाद से निपटने के कानून को भी और धार देने की जरूरत है। सीमा के बाहर तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है और देश को उस पर गर्व है, परंतु सीमा के अंदर भी ऐसे बहुत तत्व हैं जिन पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए।

(लेखक सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक हैं)

response@jagran.com

नौकरशाही के भ्रष्टाचार की अनदेखी

शिवदान सिंह

शासन तंत्र का प्रमुख हिस्सा होने के कारण नौकरशाही का भ्रष्टाचार जनता को कहीं अधिक प्रभावित करता है

अभी कुछ समय पहले कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने प्रजातंत्र की चिंता करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में एक शिकायती पत्र राष्ट्रपति को लिखा। इस पत्र में उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं कि वह निष्पक्षता, दक्षता और पारदर्शिता से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है। इन वरिष्ठ पूर्व नौकरशाहों को चुनाव आयोग के व्यवहार से तो प्रजातंत्र पर खतरा महसूस हुआ, परंतु नौकरशाही के भ्रष्टाचार जिससे आज पूरे देश में असंतोष और निराशा का माहौल पैदा हो गया है वह उन्हें दिखाई नहीं देता, जबकि वे स्वयं इसी सेवा से होने के कारण नौकरशाही की सारी बारीकियों को अच्छी प्रकार से जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि नौकरशाह भ्रष्टाचार के क्या-क्या तरीके अपनाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों द्वारा लागू पुलिस एक्ट 1861 में बदलाव और सुधारों के लिए तो सरकारों को निर्देश दे चुका है ताकि पुलिस का स्वरूप सामंतवादी के स्थान पर प्रजातांत्रिक बने, परंतु ऐसे प्रयास सिविल सर्विसेज कोड 1947 को बदलने के लिए नहीं किए गए। शायद देशवासी नहीं जानते कि यह सिविल सर्विसेज कोड वास्तव में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया सिविल सर्विसेज कोड 1919 ही है। जिसे इसी स्वरूप में स्वीकार कर लिया गया था। इसे स्वीकार करने के पीछे यह सोच थी कि यदि इस कोड के द्वारा अंग्रेजी नौकरशाही ने भारत को एक मजबूत प्रशासन तंत्र दिया है तो वह स्वतंत्र भारत में भी उसी प्रकार काम करेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। औसत नौकरशाह मौका मिलने पर सिविल सर्विस कोड में दी गई अपार शक्तियों का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करने लगते हैं। इनकी जवाबदेही का यह हाल है कि रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी एक नौकरशाह पर अभियोग चलाने के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य है। भारतीय नौकरशाही की इस स्थिति पर पूर्व नौकरशाह और भारत के चीफ विजिलेंस कमिश्नर एन विट्ठल ने कहा था कि राजनीतिज्ञों से ज्यादा नौकरशाह भ्रष्ट हैं, क्योंकि एक समय के बाद जनता राजनीतिज्ञों को हटा सकती है, परंतु एक नौकरशाह अपनी पूरी सेवाकाल तक यानी करीब 30-32 वर्ष तक भ्रष्टाचार करता रहता है और उसे एक व्यवसाय का स्वरूप दे देता है। भारत की नौकरशाही को एशिया में अन्य देशों हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि के मुकाबले ज्यादा भ्रष्ट एवं मुश्किलें खड़ी करने वाला माना जाता है। नौकरशाही के शासन तंत्र की मुख्य धुरी होने के कारण समय-समय पर देश की प्रतिष्ठा और आर्थिक हानि हुई है। नौकरशाही के ढुलमुलपन के कारण ही देश में पर्याप्त संसाधन होते हुए भी गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं गंभीर बनी हुई हैं। क्या यह प्रजातंत्र के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात नहीं है? क्या इस पर पूर्व नौकरशाहों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए?

भारत की नौकरशाही मुख्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), पुलिस सेवा (आइपीएस), विदेश सेवा (आइएफएस) और आइआरएस कैडर के अधिकारियों से बनी है। राज्यों के स्तर पर पीसीएस और पीपीएस नौकरशाहों की मजबूत कड़ी हैं। भारत सरकार के प्रशिक्षण और कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर नौकरशाही के भ्रष्टाचार के आंकड़े अंकित हैं। वहां पर केवल आइएएस के भ्रष्टाचार के आंकड़े देखें तो पाएंगे कि इस समय दस भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर जेल में हैं। भारत सरकार ने एक साल में 129 नौकरशाहों को भ्रष्टाचार और नकारापन के कारण सेवानिवृत्त करके घर भेज दिया है। भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों में 66 पूर्व अधिकारी जेलों में हैं। इसके अलावा भारत सरकार को ज्ञात हुआ है कि देश के अंदर 100 ऐसे आइएएस अधिकारी हैं जिनकी चल और अचल संपत्ति 800 करोड़ से ज्यादा है। विश्व बैंक ने अपने आर्थिक सर्वे में पाया है कि भारत में ट्रकों से माल ढुलाई के दौरान सड़कों पर पुलिस और अन्य विभाग 222 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में सालाना वसूली कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दिल्ली-मुंबई के बीच में केवल इस रिश्वत वसूली के कारण इन ट्रकों का सफर दो दिन तक बढ़ जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार देश में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत की नौकरशाही में भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है।

भारत की नौकरशाही शासन तंत्र का हिस्सा होने के कारण जनता से सीधे जुड़ती है। इसलिए नौकरशाही का भ्रष्टाचार जनता को सीधा प्रभावित करता है। अक्सर हर साल सुनने में आता है कि बहुत से नौकरशाह चल-अचल संपत्ति का वार्षिक हिसाब सरकार को नहीं दे रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी आम आदमी का शोषण करने वाली नौकरशाही के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई योजना विस्तार से नहीं बता रही है। ऐसा लगता है कि यह उनके लिए कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, अन्यथा वे अपनी योजना जनता को चुनावों के दौरान बताते। आखिर क्या कारण है कि किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में नौकरशाही में सुधार का मुद्दा नहीं है? यह भी विचित्र है कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रपट एक तरह से ठंडे बस्ते में ही पड़ी हुई है। नौकरशाही में सुधार राजनीतिक दलों के हित में है, क्योंकि अक्सर वे नौकरशाहों की ढिलाई की सजा भुगतते हैं।

यदि हमें नया भारत बनाना है और सब को न्याय और विकास का लाभ देना है तो इसके लिए शासन तंत्र के मुख्य भाग नौकरशाही को देश की अपेक्षा के अनुसार बनाना होगा। इसके लिए नौकरशाही में प्रवेश के तरीकों के साथ ही उसके प्रशिक्षण में परिवर्तन करने होंगे। प्रवेश परीक्षा के समय सेना के अधिकारियों की तरह नौकरशाहों का भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य होना चाहिए जिससे उनकी मनःस्थिति का पता लगाया जा सके। नौकरशाहों को हर समय अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेना की कोर्ट मार्शल की व्यवस्था की तरह नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के मामलों के निपटारे के लिए भी अलग अदालत बनने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नौकरशाह को देश के नागरिकों को उनके लिए नियत की हुई योजनाओं का लाभ ईमानदारी से दें। यह उनकी देशभक्ति का एक उदाहरण होगा। इसी तरह के उपायों से देश के निचले स्तर से भ्रष्टाचार मिटेगा और देश में समरसता तथा राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होगी।

(लेखक सेवानिवृत्त कर्नल हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

निराशा का अंत

आज का मनुष्य निराशा और घुटन से बहुत ज्यादा आक्रांत है। निराशा से बचने का उपाय है सकारात्मक दृष्टिकोण। घुटन से मुक्ति का उपाय है-दूसरों के सुख से दुखी न हों। प्रश्न है-घुटन एवं निराशा से कैसे बचें? यह कमजोर लोगों के लिए समस्या है। मन के प्रतिकूल कोई बात होती है तो मनुष्य के मन को चोट पहुंचती है, जिससे मनोबल और आत्मबल की कमी होती है, साहस कम होता है, वह सहन नहीं कर पाता, भीतर ही भीतर घुटता रहता है। जो बात मन में आई उसे कह दिया, निकाल दिया तो बात साफ हो जाएगी, घुटन नहीं होगी। वे व्यक्ति जो न कह पाते हैं और न सह पाते हैं, भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। हिस्टीरिया का दौरा पड़ना, अप्रसन्न रहना, उदास रहना, डिप्रेशन में रहना-ये सारे घुटन की अवस्था में होते हैं।

घुटन क्यों होती है? घुटन का कारण है मानसिक दुर्बलता। घुटन के निवारण का सबसे सुंदर उपाय है सरलता एवं सहजता। अपने आसपास के लोगों के प्रति सहजता एवं सरलता का व्यवहार रखें। जो व्यक्ति सहजता का महत्व समझता है, उसको कभी घुटन नहीं हो सकती। मन में किसी के प्रति कोई विचार आया, उसको छिपाओ मत, दबाओ मत। आमने-सामने बैठो, मन की बात कह दो-मेरे मन में तुम्हारे प्रति यह भाव आया है। यदि भूल मेरी है तो मुझे बताओ। तुम्हारी है तो तुम स्वीकार करो। परस्पर एकदम सरल होकर भूल को स्वीकार करें, बात करें, घुटन नहीं होगी, मन स्वच्छ हो जाएगा।

घुटन का कारण बनता है अपना अवांछनीय आचरण। एक व्यक्ति गलती करता है, दूसरा उसे रोकता है। गलती करने वाला उसे सह नहीं पाता और वापस कुछ कह भी नहीं पाता। वह मन ही मन घुटता रहता है। यह घुटन अशांति और तनाव को जन्म देती है। यदि अपनी भूल की स्वीकृति और परिष्कार का संकल्प जाग जाए तो घुटन मानवीय स्वभाव का अंग नहीं बन सकती, मन में गांठें नहीं बनने देती। किसी के प्रति भी मन में यदि गांठ पड़ जाती है तो दिमाग हर समय तनाव में रहेगा, जो हमें गुस्से, क्रोध और अवसाद के मुहाने पर खड़ा कर देता है। इसलिए तुम गांठ मत रखो, घुटन मत करो। मन में कोई बात आ सकती है, किंतु उसे कह न पाएं, सह न पाएं और सफाई न कर पाएं तो वह समस्या बन जाती है, बीमारी का कारण बन जाती है।

ललित गर्ग

भुखमरी से कब मिलेगी निजात

सुनीता मिश्रा

एक ओर जहां भारत की समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर देश में बड़े पैमाने पर खाने की बर्बादी की जाती है

चुनावी समर में एक ओर जहां राजनीतिक दल देशवासियों के हित में एक से बढ़कर एक योजनाएं लाने की घोषणा कर रहे हैं, उन्हें हर सुविधा मुहैया कराने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भुखमरी और कुपोषण के कारण दो बच्चों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। दोनों मासूम भूख मिटाने के लिए मिट्टी खाने के आदी हो गए थे, जिससे तीन साल के संतोष और दो साल की वेन्नेला की मौत हो गई। गौरतलब है कि 2018 में भारत भुखमरी के मामले में 119 देशों की रैंकिंग में 103वें नंबर पर रहा। यह सूचकांक तैयार करते समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआइ) चार मुख्य बातों पर बारीकी से अध्ययन करता है। इसमें सबसे पहले वह आबादी में कुपोषणग्रस्त लोगों की संख्या, दूसरा बाल मृत्युदर, तीसरा अविकसित बच्चों की संख्या और आखिर में अपनी उम्र की तुलना में छोटे कद और कम वजन वाले बच्चों की तादाद देखता है।

बहरहाल आंध्र प्रदेश की इस घटना से देश की निराशाजनक तस्वीर सामने आई है। आज विश्व के अल्प-विकसित बच्चों की संख्या का 33 फीसद हिस्सा भारत में है, वहीं यूनिसेफ के मुताबिक भारत में पांच साल से कम उम्र के 48 फीसद बच्चे अल्प-विकसित हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे गरीब देशों की जो स्थिति है, भूख और कुपोषण के मामले में भारत उनसे थोड़ा-सा ही ऊपर है।

संक्रामक बीमारियां फैलने की बड़ी कुपोषण ही है, जिस देश में बच्चे ही स्वस्थ नहीं होंगे, उसके विकास में रोड़ा जरूर आएगा। अगर भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है तो पहली जरूरत देश के हर नागरिक को साफ पानी, पर्याप्त पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। यह भी बात गौर करने वाली है कि एक ओर जहां भारत भूख की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर देश में बड़े पैमाने पर खाने की बर्बादी की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 40 फीसद खाना हर साल बर्बाद हो जाता है, इस खाने की कीमत 50 हजार करोड़ रुपये के आसपास आंकी गई है। आंकड़ों से इतर हम रोजाना अपने आसपास ढेर सारा खाना बर्बाद होते हुए भी देखते ही हैं। शादी, होटल, पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों, यहां तक की घरों में ढेरों खाना यूं ही फेंक दिया जाता है। अगर इस खाने को बचा लिया जाए और जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया जाए तो भी कई लोगों का पेट भर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2030 तक विश्व को भुखमरी मुक्त रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती दो अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दुनिया की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में आज इसकी प्रतिष्ठा है। इसके बावजूद भुखमरी सूचकांक में इतना पीछे होना हम सबके लिए गहरे आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। हमें खाद्यान्न वितरण प्रणाली में सुधार करने होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों को इसके लिए आगे आना होगा। आखिर कहां चूक हो रही है? इसका अविलंब आकलन किया जाना चाहिए। हमें यह भी याद रखना होगा कि भूखा भारत कभी विकसित नहीं हो सकता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

परीक्षा पद्धति पर उठते सवाल

राजेंद्र प्रताप गुप्ता के आलेख 'परीक्षा तंत्र में तब्दील होता शैक्षिक तंत्र' में सीबीएसई परीक्षा पद्धति पर जो सवाल उठाए गए हैं, उस पर देश के शिक्षाविदों को मंथन करने की जरूरत है। नब्बे के दशक तक सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम देखने लायक होता था। जहां 60 प्रतिशत अंक पाने वाले परीक्षार्थी को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का सम्मान मिलता था और किसी विषय में 75 प्रतिशत अंक पाने वाले परीक्षार्थी को उस विषय में विशेष योग्यता धारित करने का गौरव प्राप्त होता था, लेकिन इस स्तर तक न पहुंच पाने वाले अन्य परीक्षार्थियों के अंदर किसी तरह की हीन भावना पैदा न हो इसके लिए 55 से 59 प्रतिशत तक अंक पाने वाले परीक्षार्थियों को गुड सेकेंड डिवीजन में उत्तीर्ण होने का सम्मान देकर उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया जाता था, परंतु आज की सीबीएसई परीक्षा पद्धति में यदि किसी परीक्षार्थी के 90 प्रतिशत से कम अंक हैं तो उसके परीक्षा परिणाम को हेय दृष्टि से देखा जाता है। जबकि वास्तविकता यह है किसी छात्र की प्रतिभा का उसके परीक्षा प्राप्तांकों से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान कम अंक अर्जित करने वाले छात्र आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी विषयगत समझ के दम पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वहीं स्कूली पढ़ाई के दौरान 99 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले छात्र इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ते दिखाई देते हैं। फिर सीबीएसई परीक्षा पद्धति में अकल्पनीय रूप से 500 में 499 अंक देने का उद्देश्य क्या है? इस पर सीबीएसई परीक्षा आयोजकों की जवाबदेही तय होनी ही चाहिए, अन्यथा अंकों का यह मायाजाल होनहार छात्रों के जीवन को पंगु बना देगा।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

मेलबाक्स

अंकों से ग्रेड बेहतर

शिक्षा के मामले में एक बात तो सोलह आने सच है कि अंकों के आधार पर न तो हम किसी के अंदर छिपी प्रतिभा को आंक सकते हैं और न ही देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन यह हकीकत है कि 99 फीसद अंक लाने वाले बच्चे देश में रहने का ख्वाब कम ही देखते हैं। और ऐसे बच्चे ही देश में प्रतिभा पलायन का कारण बनते हैं, जो आज विदेशों में उन्नति का आधार हैं। जबकि औसत अंक पाने वाले बच्चे अपनी जमीन से जुड़कर आज भी देश को दिशा दे रहे हैं। कुछ वर्षों में हमारी शिक्षा नीति में ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं कि आज स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों को नैतिकता पर बल न देकर अंकों की अधिकता को प्रबल किया जा रहा है। स्कूल से लेकर समाज में भी यह देखने में आता है कि अधिक अंक हासिल करने वाले बच्चों को हद से अधिक सम्मान दिया जाता है जो अन्य छात्रों के प्रोत्साहन का कम, बल्कि उनके तनाव का कारण अधिक बन जाता है। आज अभिभावकों द्वारा छात्रों पर अधिक अंकों का दबाव बनाना और छात्रों का सपनों में भी अंकों की ओर भागने के पीछे कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों में दाखिले और नौकरियों में न्यूनतम अंकों की बाध्यता जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, कई संस्थानों में वजीफा का आधार भी अंकों को ही बनाया गया है। अभिभावकों को अपनी मानसिकता और सरकार को शिक्षा नीति में बदलाव करके ऐसे शिक्षा नीति को स्थापित करना होगा जहां छात्रों की काबिलियत का पैमाना अंक नहीं होकर उनकी कला और हुनर होना चाहिए। साथ ही अंकों के स्थान पर ग्रेड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अन्यथा देश के छात्र इस अंकों के छद्म युद्ध का शिकार होते रहेंगे।

पिंटू सक्सेना, दिल्ली

ईवीएम का महत्व

दैनिक जागरण के 08 मई के अंक में संपादकीय आलेख, ईवीएम विरोधी मोर्चा, में यह कहना कि पचास प्रतिशत वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने के बारे में विपक्ष की याचिका को सुना ही नहीं जाना चाहिए था, सही है। आश्चर्य तो इस बात का है कि आज तक किसी भी मतदाता ने यह शिकायत नहीं की है कि उसने जो बटन दबाया पर्ची उसके विपरीत निकली। जब मतदाता संतुष्ट है तो विपक्ष क्यों बवाल काट रहा है? ईवीएम के आने के बाद मतदाता का अधिकार सुरक्षित हुआ है और नतीजे भी शीघ्र मिलने लगे हैं। क्या विपक्ष अब भी बैलेट पेपर से चुनाव के मोहपाश में जकड़ा है जब कमजोर तबके के लोग बूथ तक भी नहीं पहुंच पाते थे और उनके वोट डाल दिए जाते थे। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी गरिमा बनाए रखने का दायित्व राजनीतिक दलों पर भी है।

रणजीत वर्मा फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।